



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 17 जुलाई, 2026

आषाढ़ 26, 1948 शक सम्वत्

प्रारूप-18

[नियम 20 का उपनियम (2)]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

[अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत]

उत्तर प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।

अधिसूचना संख्या 1893/वि०भू०अ०अ०/अयोध्या/2026

लखनऊ, 17 जुलाई, 2026

अधिसूचना

प०आ०-451

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) की राय है कि अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् पिक सालिड स्टोन गेट (श्री गरुड़ द्वार, श्री भरत द्वार व श्रीराम द्वार) के निर्माण हेतु जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल, परगना मंगलसी व हवेली अवध के 6 ग्रामों फिरोजपुर उपरहार, सलारपुर, चिरा मोहम्मदपुर, सरियावां, मईनुद्दीनपुर व साखूपारा में कुल 0.7218 हे० भूमि की आवश्यकता है।

2-सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी मेसर्स अग्रिमा एण्ड सेन्टर फार इण्डियन बैम्बू रिसोर्स एण्ड टेक्नोलॉजी (सीबाट), नई दिल्ली द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है, जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 3 जुलाई, 2026 को अनुमोदित किया गया है।

3-सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है:-

इस परियोजना में अधिकतर लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त की है, और यह परियोजना अपने निर्माण कार्य के अन्तिम पड़ाव पर है।

अधियाची विभाग के द्वारा यह प्रयास किया गया है कि परियोजना के अन्तर्गत निर्माण के लिए कम से कम जमीन अर्जित किया जाए। फलस्वरूप अधियाचित रकबा न्यूनतम 0.7218 हे० का अर्जन किया जाना अनिवार्य है।

यह परियोजना क्षेत्र के विकास, जैसे रोजगार, टूरिस्ट सेंटर के निकट एवं सामाजिक सरोकार वगैरह के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

अधिकतम प्रभावित परिवारों को भूमि की उत्पादकता में कमी होगी। इस सम्बन्ध में शेष बची भूमि के विकास के साथ-साथ उचित सिंचाई एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा।

परियोजना के निर्माण कार्य के कारण स्कूल, मन्दिर और मस्जिद इस परियोजना से प्रभावित हो रही है। प्रशासन द्वारा मूलभूत आवश्यकताओं (बिजली, सड़क, पानी इत्यादि) प्रदान करते हुए अधिग्रहण का कार्य सुचारु रूप से किया जा रहा है।

4-भूमि अर्जन के कारण कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5-अतः समुचित सरकार सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल (हे० में)
1	2	3	4	5	6
अयोध्या	सोहावल	मंगलसी	फिरोजपुर उपरहार	303	0.0364
योग				01 किता	0.0364
अयोध्या	सोहावल	मंगलसी	सलारपुर	176	0.0817
				134	0.0165
योग				02 किता	0.0982
अयोध्या	सोहावल	मंगलसी	चिरा मोहम्मदपुर	13	0.0540
				14	0.0260
				19	0.1000
				11	0.0220
				5	0.0280
				6	0.0030
योग				06 किता	0.2330
अयोध्या	सोहावल	मंगलसी	सरियांवा	1201	0.0702
				1203	0.0490
योग				02 किता	0.1192
अयोध्या	सोहावल	हवेली अवध	मईनुद्दीनपुर	507	0.0320
				508	0.0420
				509	0.0250
				510	0.0250
योग				04 किता	0.1240
अयोध्या	सोहावल	हवेली अवध	साखूपारा	14	0.0570
				20	0.0540
योग				02 किता	0.1110
कुल योग				17 किता	0.7218

6-अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए कलेक्टर को प्राधिकृत करते हैं।

7-अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8-अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी:- उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर अयोध्या के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

शशांक त्रिपाठी,

समुचित सरकार/जिला कलेक्टर,
अयोध्या।

FORM-18

[Sub-rule (2) of Rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE ACT]

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Public Works Department, Provincial Division, Ayodhya

Letter no.- 1893/SLAO/AYODHYA/2026

Dated Ayodhya, July 17, 2026

NOTIFICATION

1. Under sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 0.7218 hectares of land is required in the 6 villages Firozpur Uparhar, Salarpur, Chirra Mohammadpur, Sariyawan, Mainuddinpur, Sakhpura Pargana-Magalsi & Haveli Awadh, Tehsil-Sohawal District Ayodhya is required for public purpose, namely, project Pink Solid Stone (Sri Garun Dwar, Sri Bharat Dwar & Sriram Dwar) through Public Works Department, Provincial Division, Ayodhya.

2. Social impact Assessment study was carried out by the social impact assessment agency M/s Agrima and Centre for Indian Bambo Resource and Technology, New Delhi and submits its recommendations to the appropriate Government which has approved its recommendation on dated June 3, 2026.

3. The summary of the Social Impact Assessment (SIA) report is as follows:-

Most people have expressed their consent to this project, and it is in the final stages of its construction.

The requisitioning department has made an effort to ensure that the minimum possible land is acquired for construction under the project. Consequently, it is mandatory to acquire a minimum requisitioned area 0.7218 hectares.

This project will pave the way for regional development such as employment, proximity to a tourist centre, and social responsibility.

The land productivity for most affected families will decrease. Therefore, along with the development of the remaining land, proper irrigation and other facilities will have to be provided.

Due to the project's construction work, a school, a temple, and a mosque are being affected. Meanwhile, the administration is ensuring the smooth execution of the land acquisition process while providing essential amenities (such as electricity, roads, and water).

4. No family is being displaced due to land acquisition.

5. Therefore, the Appropriate Government is pleased to accord its consent to notify the land mentioned in the following schedule for general information for a public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area be Acquired (In hect.)
1	2	3	4	5	6
Ayodhya	Sohawal	Magalsi	Firozpur Uparhar	303	0.0364
Total				01 Nos.	0.0364
Ayodhya	Sohawal	Magalsi	Salarpur	176	0.0817
				134	0.0165
Total				02 Nos.	0.0982
Ayodhya	Sohawal	Magalsi	Chirra Mohammadpur	13	0.0540
				14	0.0260
				19	0.1000
				11	0.0220
				5	0.0280
				6	0.0030
Total				06 Nos.	0.2330

1	2	3	4	5	6
Ayodhya	Sohawal	Magalsi	Sariyawan	1201	0.0702
				1203	0.0490
Total				02 Nos.	0.1192
Ayodhya	Sohawal	Haveli Awadh	Mainuddinpur	507	0.0320
				508	0.0420
				509	0.0250
				510	0.0250
Total				04 Nos.	0.1240
Ayodhya	Sohawal	Haveli Awadh	Sakhupara	14	0.0570
				20	0.0540
Total				02 Nos.	0.1110
Grand Total				17 Nos.	0.7218

6. The Appropriate Government is pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition as specified and provided under section 12 of the Act, to take necessary steps, to survey the land, level any land, dig, and perform all other necessary actions for the proper execution of the work.

7. Under Section 15 of the Act, any person with an interested in the land can submit a written objection against the land acquisition to the Collector within 60 days of the notification's publication.

8. According to Section 11(4) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, once a preliminary notification for land acquisition is published, no one can sell, transfer, or create encumbrances on that land without the Collector's prior approval until the process is finished.

Note- A plan of land may be inspected in the office of the collector, Ayodhya for the purpose of acquisition.

By order,
SHASHANK TRIPATHI,
Appropriate Government/District Collector,
Ayodhya.